अपील सूचना अधिकार संख्या 138/2020 (GCMS 2020/00233) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 70 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम प्रधानाध्यापिका, श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई, पटवार ट्रेनिंग स्कूल, गजसिंहपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुआ और कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं प्रधानाध्यापिका, पटवार ट्रेनिंग स्कूल, गजसिंहपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 07.08.2020 से तेरह बिन्दुओ की सूचना चाही थी जो लोकसूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय अवधि में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए लोक सूचना अधिकारी पर 25000/– रूपये शास्ति अधिरोपित कर हर्जाना उसे दिलवाये जाने एवं वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 07.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

1. उपरोक्त दस्तावेज श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई तत्कालीन उपपंजीयक, श्रीगंगानगर द्वारा प्रदान किये गये स्त्रोत व माध्यम की सूचना व माध्यम की प्रमाणित प्रति।
2. उपरोक्त दस्तावेज के 30/–रू के स्टाम्प पर लिखे जाने की प्रमाणित प्रति।
3. उक्त दस्तावेज जिस पेपर पर भी टाइप व पंजीबद्ध है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
4. पंजीबद्ध सं0 25/2000 व ...
5. इस दस्तावेज को प्रस्तुत श्रीमती मानिका देवी द्वारा उपस्थित होकर निरस्त करवाया गया है। इस बाबत सूचना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

6. उक्त दस्तावेज को श्रीमती सुमित्रा बिश्नोई द्वारा प्राप्त करने में जो राशि जिस विभाग में जमा करवाया है उस विभाग का नाम व राशि की सूचना व उसकी प्रमाणित प्रति।
7. उक्त दस्तावेज जांच रिपोर्ट के जिस बिन्दु से सम्बन्धित है। उस बिन्दु की सूचना व दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।
8. उक्त दस्तावेज के प्राप्त करने वाले विभाग का नाम व प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम व पद की सूचना व प्रतिलिपि।
9. पंजीबन्द किये जाने वाले दस्तावेजो पर फोटो लगवाना जिस तारीख से सरकार द्वारा आदेश जारी किया उसकी सूचना व आदेश की प्रमाणित प्रति।
10. उक्त दस्तावेज पर विभागीय सील व हस्ताक्षर उप पंजीयक के होना फोटो पर आवश्यक है इस बाबत सूचना व प्रमाणित प्रति।
11. प्रार्थी का हस्तलिखित पत्रांक दिनांकित 04.01.19 सम्बन्धित श्री जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा मार्किंग एडीपीएस/ओईसी पंजीयन अधिकारी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से आपको जिस माध्यम से प्राप्त हुआ उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।
12. पत्र प्राप्त करने मे जमा करायी गयी राशि व रसीद की सूचना व प्रमाणित प्रति।
13. उक्त पत्रांक 04.01.19 जाचं रिपोर्ट के जिस बिन्दू से सम्बन्धित है उसकी सूचना व जिस विभाग के जिस कर्मचारी से सम्बन्धित है उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

प्रधानाध्यापिका, परिवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर ने अपने पत्रांक स्था/19/331–32 दिनांक 27.08.2020 से प्रार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक	बिन्दु	सूचना का जबाव
1	6,7,8,11,12,13	इन बिन्दुओ में सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देया है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए सूचना के रूप में प्रत्यार्थी न तो सूचना बना सकते है और न ही स्वयं का मत दे सकते है, लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है, सामग्री में से कुछ तथ्य को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदार करना, लोक सूचूना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष्ज्ञ तरीके से करने या न करने के आदेश/ निर्देश नही दिये जा सकते, सूचना के अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में प्रदान किया जा सकता है।
2	2,3,4,5,9,10	बिन्दु संख्या 2,3,4,5,9,10 इस कार्यालय से सम्बन्धित नही है

चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2020 के सम्बन्ध प्रधानाध्यापिका, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, राजसिंहपुर द्वारा दिनांक 27.08.2020 को प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाओं के सम्बन्ध जवाब दिया जा चुका है। **सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पटवार**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है बल्कि इस हेतु राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थन, अजमेर के पत्रांक प.1(78)राअप्रसं/स्था./08 दिनांक 03.01.2006 तहत प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर अधिकृत है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि चाहे तो पटवार प्रशिक्षण केन्द्र के सक्षम अपील अधिकारी निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति प्रधानाध्यापिका, पटवार प्रशिक्षण केन्द्र, गजसिंहपुर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.03.25 15:53:32 IST
Reason: SelfAttested